E-mail: sro.keonjhar@epfindia.gov.in
Ph. : 06766-258067, FAX: 06766-258162

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन

Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगारमंत्रालय, भारत सरकार) /(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय- / Regional Office

पवित्रडिहा, एन.एच -49, केंदुझर -758001 (ओड़ीशा)

Pabitradiha, N.H-49, Keonjhar- 758001 (Odisha)

पत्र संख्या: क्षेका/ क्योंझर/प्रशासन/7-8/227/खन्ड-II/ 704 दिनांक: 31-07-2020

(निविदा सूचना)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, क्योंझर (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) सिक्यूरिटी कार्मिकों के नियोजन के लिए जिसमें, 03 सिक्यूरिटी कार्मिक , 01 एलेक्ट्रिशियन एवं 01 सफाईकर्मी (स्वीपर) हेतु सीलबंद लिफाफों में रजिस्टर्ड सिक्यूरिटी एजेंसी से निविदा आमंत्रित करती है। इच्छुक एजेंसी निविदा जमा करने की नियम व शर्तों से संबन्धित दस्तावेज़ इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में समय 09:30 बजे (पूर्वाहन) से 6:00 बजे (अपराह्न) तक प्राप्त कर सकते हैं या वेबसाइट www.epfindia.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं ।

सीलबंद लिफाफे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, एन.एच-49, पवित्रडिहा, क्योंझर-758001 कार्यालय में दिनांक. 21-08-2020.. तक पहुँच जानी चाहिए। निविदा दस्तवेज/ कोटेशन संबंधी लिफाफों के ऊपर "" सिक्यूरिटी कार्मिक हेतु निविदा " " शब्द जरूर लिखें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, क्योंझर किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का सर्वाधिकार रखती है।

प्रेम प्रकाश

(प्रेम प्रकाश)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन)
क्षेत्रीय कार्यालय, क्योंझर

समझौता ज्ञापन

यह करार स्थान .... में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ई.पी.एफ.ओ.) (जो प्रथम पक्ष है) एवं प्रशासनिक प्रबन्धक / स्वामी के द्वारा मेसर्स - ...., (जो द्वितीय पक्ष है) के बीच दिनांक .... के प्रभाव से किया जाता है। इस करार एवं विलेख में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष का अभिप्राय एवं शर्तें इस दस्तावेज़ में उल्लिखित अन्यथा या अपेक्षित आशय को छोडकर अथवा इस संदर्भ के विपरीत भी यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें उनके कार्यालय के वारिश, उत्तराधिकारी, प्रशासक, अभिहस्तांकिती (assignees) इत्यादि भी शामिल रहेंगे ।

कार्य की प्रकृति	स्टाफ कॉलोनी	कार्यालय भवन
1) इलेक्ट्रिशियन सह सिक्यूरिटी गार्ड		
2) सिक्यूरिटी गार्ड		
3) सफाईकर्मी (स्वीपर)		
+सेवा कर (जो लागू हो), वर्तमान सेवा कर की दर		

यह समझौता ज्ञापन प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बीच आगे दिए गए नियम एवं शर्तों के अधीन रहेगा।

नियम व शर्तें

1) द्वितीय पक्ष, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, क्योंझर के कार्यालय भवन एवं स्टाफ कॉलोनी हेतु 1 वर्ष के लिए सिक्यूरिटी एवं सफाई से संबन्धित सेवा प्रदान करेंगे जो दिनांक- .... से प्रभावी होगा। जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कुछ संशोधनों के साथ नवीकृत किया जा सकता है।
2) सभी रविवार, राष्ट्रीय अवकाश एवं त्योहारों की छुट्टीयां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन व कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम के सेवा प्रभार हेतु दी गई दर सूची में प्रतिमाह चौबीसों घंटे की सेवा शामिल रहेगी ।
3) द्वितीय पक्ष अपने कर्मचारियों को अपने खर्च पर वर्दी, जूते, टोपी, बेल्ट एवं विसिल (सिटी) इत्यादि मुहय्या कराएगी।
4) प्रथम पक्ष नियोजित सिक्यूरिटी / कामगारों को टॉर्च, ईलेक्ट्रिकल व नलसाज औज़ार एवं अन्य औज़ार (kits) मुहय्या कराएगी । पैरा - I में वर्णित प्रथम पक्ष या इसकी प्रॉपर्टी को गलत ढंग से किये गये उपयोग / दुरुपयोग / चोरी / लापरवाही या इस प्रकार के कारणों से हुई कोई क्षति (सामान्य टूट-फुट को छोडकर) होने पर इसकी भरपाई संबन्धित सिक्यूरिटी एजेंसी द्वारा की जाएगी ।

5) द्वितीय पक्ष एक माह के दौरान की गई सेवा हेतु आगामी माह के 01 तारीख तक अपने बकाया राशि के लिए समेकित बिल प्रस्तुत करेगा। द्वितीय पक्ष को सेवा के लिए भुगतान, मासिक आधार पर हर माह के 10 तारीख तक कर दिया जाएगा एवं इस संबंध में द्वितीय पक्ष को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।

6) द्वितीय पक्ष कामगारों को न तो किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को किराया पर दे सकेगा और न ही उनके वास्ते कोई कार्य सौंप सकेगा और न ही इस संविदा के प्रावधानों से हट सकेगा।

7) यह कि अगर कोई कामगार किसी कारण से अनुपस्थिति रहता है तो द्वितीय पक्ष उनके एवज में तत्काल प्रथम पक्ष से बगैर कोई अतिरिक्त राशि की मांग के वैकल्पिक एवजी की व्यवस्था करेंगे।

8) कोई भी कार्मिक किसी भी तरह की गंभीर / संक्रामक बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए एवं वह पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए।

9) प्रत्येक कार्मिक के पास मशीन चलाने से संबन्धित कार्य हेतु मूलभूत न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।

10) यह कि अगर द्वितीय पक्ष इस करार के किसी भी नियम व शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है या संविदा भंग करता है, तो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को एक महीने की अग्रिम सूचना देकर इस करार को निरस्त कर सकता है । यह निरस्तता इस करार के किसी भी पक्ष के अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रभावी होगा।

11) यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य में नियोजित किए गए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर कार्यस्थल से हटा या निकाल सकता है, जो अयोग्य होगा या जिनका आचरण गलत पाया जाएगा । ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के आवश्यकतानुरूप कार्य करेगा।

12) यह कि अगर किसी समय वर्क ऑर्डर की स्वीकृति के पश्चात प्रथम पक्ष यह निर्णय करता है कि वह किसी कारण से कार्य की प्रकृति का त्याग या उसमें कमी करना चाहता है या यह चाहता है कि सम्पूर्ण कार्य या कार्य का कोई हिस्सा कार्यान्वित न किया जाय, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष इस आशय की लिखित सूचना 30 दिनों के अंदर द्वितीय पक्ष को देगा एवं द्वितीय पक्ष का दावा उस भुगतान या क्षतिपूर्ति या अन्यथा पर नहीं रहेगा जिसका फायदा या लाभ उसे पूरे कार्य के निष्पादन के पश्चात मिलता परंतु उसे सम्पूर्ण कार्य या कार्य का कोई भाग के समय से पहले ही निपुतारण हो जाने के कारण नहीं मिला ।

13) यह कि इस संविदा का कोई भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन होता है या प्रथम पक्ष के विचार में द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है या द्वितीय पक्ष दिवालिया हो जाता है या द्वितीय पक्ष पर किसी तरह का सिक्यूरिटी संकट आ जाता है तो प्रथम पक्ष को यह स्वतन्त्रता होगी कि वह द्वितीय पक्ष को एक महीने की अग्रिम नोटिस देकर संविदा को समाप्त कर सकता है एवं किसी अन्य एजेंसी द्वारा कार्य को आगे बढ़ा सकता है।

14) यह कि द्वितीय पक्ष को सिक्यूरिटी कार्मिकों के नियोजन के संबंध में लागू सभी कानून, नियम, विनियम एवं सांविधिक आदेश या दिशानिर्देश का पूर्ण रूप से अनुपालन करना होगा । सिवाय उन प्रावधानों को छोडकर जहां इनके अनुपालन से उन्हें विधिवत रूप से छुट मिला हुआ हो ।

15) यह कि इस करार के शर्तों के अधीन द्वितीय पक्ष को दी गई किसी भी प्रकार की सूचना / निर्देश को विधिवत रूप से तामिल माना जाएगा, अगर उक्त सूचना / निर्देश द्वितीय पक्ष के अंतिम ज्ञात पते पर वितरित की गई हो या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा प्रेषित किया गया हो ।

16) यह कि दस्तावेज़ / विलेख / को तैयार करने / कराने एवं निष्पादन करने / कराने में हुए सभी खर्च जिसमें स्टांप ड्यूटी एवं संबन्धित फीस भी शामिल है का भुगतान द्वितीय पक्ष को करना होगा।

17) यह कि अगर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें असामाजिक तत्व भी शामिल हैं के द्वारा कार्य में किसी प्रकार की बाधा या समस्या उत्पन्न की जाती है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी जिसमें पुलिस की सुरक्षा भी शामिल है।

18) प्रदत कोटेशन, कॉल लेटर के अनुसार सिक्यूरिटी कार्मिक के द्वारा कार्य में बरती गई लापरवाही के कारण अगर कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगा।

19) प्रथम पक्ष के परिसर से संबन्धित अन्य संबद्ध कार्य एवं इसकी सुरक्षा के संबंध में द्वितीय पक्ष एवं उनके द्वारा सेवा में लगाए गए कामगार प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेंगे । प्रथम पक्ष की ओर से किए गए किसी प्रकार के सुधार के उपाय के अलावे दिए गए निर्देशों के उल्लंघन होने पर यह करार समाप्त समझा जाएगा। इस संबंध में प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

20) यह कि अगर सिक्यूरिटी कार्मिक एवं द्वितीय पक्ष अर्थात : मेसर्स .... के बीच मुक़दमेबाज़ी होती है, तो सिक्यूरिटी सर्विस के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, क्योंझर जो कि प्रथम पक्ष है का सिक्यूरिटी कार्मिक के प्रति कोई भी उतरदायित्व नहीं होगा।

21) यह कि सुरक्षा (सिक्यूरिटी), रखरखाव (हाउस्कीपिंग), साफ-सफाई अथवा इस करार के आशय या इसके उल्ल्इघन के संबंध में अथवा इससे होनेवाले सभी मतभेद या विवाद का निपटारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, क्योंझर अथवा प्रथम पक्ष द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी के एकमात्र फैसले से किया जाएगा । माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 एवं इसके तहत रचित नियमों एवं प्राबधानों के तहत लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा एवं इस करार में उल्लिखित दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में माध्यस्थता की कार्यवाही क्योंझर में अँग्रेजी भाषा में की जाएगी ।

22) यह कि उपर्युक्त माध्यस्थता की शर्त पर इस करार में उल्लिखित दोनों पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य के प्रवर्तन हेतु की गई कोई कार्यवाही या वाद क्योंझर में स्थित सक्षम न्यायालय को छोडकर किसी अन्य न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा एवं इस करार में उल्लिखित दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से पूर्णतः सहमत हैं।

साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्ष उपर्युक्त तिथि वर्ष एवं स्थान पर दो प्रतियों में इस करार को निष्पादित किया है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

मेसर्स.....................................

की ओर से एवं के तरफ से	की ओर से एवं के तरफ से
हस्ताक्षर किया एवं प्रदान किया	हस्ताक्षर किया एवं प्रदान किया

आज दिनांक.................................

की उपस्थिति में .... 1)	की उपस्थिति में ....
2).........................	1) ....
	2) ....

E-mail: sro.keonjhar@epfindia.gov.in
Ph. : 06766-258067, FAX 06766-258162

कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार) / (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क्षेत्रीय कार्यालय- Regional Office
पवित्रडिहा, एन-.एच.49 , केंदुझर -758001 (ओड़ीशा)
Pabitradiha, N.H-49, Keonjhar- 758001 (Odisha)

L.No.RO/KJR/ADM/App. of Security/2018/227/Vol-III/ **Dt.**

Tender Notice

Sealed quotations are invited from registered security agencies for deployment of security personnel i.e. ***3Nos of security person, one electrician** and **one sweeper*** in EPFO, RO, Keonjhar (Ministry of Labour and Employment, Govt. of India). Interested agencies may obtain the terms and conditions from this office on any working day between 9.30A.M to 6.00P.M or can also download it from the website www.epfindia.gov.in.

Sealed quotations must reach to the office of *Regional Provident Fund Commissioner, RO, Pabitradiha, N.H-49, Keonjhar-758001* by **21st August'2020**.The envelope containing the tender documents/quotation should be superscribed with ***"quotations for security personnel"*** .The Employees P.F Organisation, RO, Keonjhar reserves the right to reject any tender without assigning any reason thereof.

(Prem Prakash)
Asst. P.F. Commissioner-(Adm)
RO, Keonjhar